

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान छापर

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : /2025

निर्णय दिनांक : 09.07.2025

दायर दिनांक - 09.07.2025

GCMS 2025/245

1. नथमल पुत्र उदाराम गोदारा जाति जाट निवासी पाण्डोराई तहसील सुजानगढ़
जिला चूरु

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी


प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

—:निर्णय:—

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान छापर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रोही पाण्डोराई तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 123 के खसरा संख्या 285/108 तादादी 5.4743 है0 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में नथूराम पुत्र उदाराम दर्ज है जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थी का सही नाम नथमल गोदारा पुत्र उदाराम है। अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड व राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का सही नाम नथमल गोदारा ही अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरुस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही पाण्डोराई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।




प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दस्तोवजों यथा आधारकार्ड, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का सही नाम नथमल गोदारा अंकित है जबकि जमाबन्दी में नथूराम अंकित है जो अशुद्ध है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नथूराम की बजाय नथमल गोदारा दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम नथमल गोदारा अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही पाण्डोराई तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 123 के खसरा संख्या 285/108 तादादी 5.4743 है0 में दर्ज खातेदार का नाम नथूराम के स्थान पर नथमल गोदारा दर्ज किया जावे। रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को टंकित करवाया जाकर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान छापर में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़